कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2830 /रेनुकूट /15 –27 दिनांक, रेनुकूट,फरवरी, 18 ,2021

सेवा में,

श्री विवेक कुमार
हेड लीगल
मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 15.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019

संदर्भः– 1–आपका पत्र दिनांक–07.01.2021
2–इस कार्यालय का पत्रांक– 2251/रेनुकूट/15–27 दिनांक– 08.01.2021
3–आपका पत्र दिनांक– 16.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक– 07.01.2021 द्वारा दिनांक–15.10.2021 से 15.10.2046 तक कुल 25 वर्षो के लिए नवीनीकरण प्रस्ताव प्रभाग में उपलब्ध कराया गया था । उक्त प्रस्ताव की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा एवं पिपरी से कराते हुए पुनः अपने संदर्भित पत्र दिनांक– 16.02.2021 द्वारा प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ इस वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये नवीनीकरण प्रस्ताव में आपके द्वारा निम्नानुसार वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की गयी है :–

(क) भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र ।

(ख) भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता के संबंध में लगायी जाने वाली शर्तो के अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र ।

(ग) भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की देयता के संबंध में लगायी जाने वाली शर्तो की अनुपालन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र ।

2– यहॉ यह उल्लेख करना है कि जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को (रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक) 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 38.2591 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव में भी उपरोक्तानुसार वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की गयी थी । प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र के आधार पर भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर–एच0 अलीगंज–लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी/यू0पी0/04/68/2019/एफ0सी0/800 दिनांक– 10.08.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया, जिसके अनुपालन में वांछित धनराशि आदि जमा न करके संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के समक्ष रिट याचिका संख्या–4084/2021 दाखिल करते हुए विवाद उत्पन्न किया गया है

3— इस प्रकार संस्थान द्वारा वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने एवं उसका अनुपालन न करने के कारण विषयगत प्रकरण में भी प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है ।

4— उक्त के अतिरिक्त विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाॅ है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है :—

(1) विषय सूची पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नही है ।

(2) फार्म—ख भाग—1 के प्रथम पन्ना पर हस्ताक्षर नही है तथा दूसरे पन्ना पर तारीख व स्थान अंकित नही है

(3) एन0पी0वी0 आंकलन संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न नही है ।

(4) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या— 843/11—सी लखनऊ दिनांक— 14.08.2020 में अंकित प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही है ।

(5) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण—पत्र संलग्न नही है

(6) प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित विवरण जिसमें पुराना/नया गाटावार विवरण अंकित हो, संलग्न नही है ।

(7) प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित राजस्व मानचित्र संलग्न नही है ।

(8) लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन त्रुटिपूर्ण है ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विषयगत प्रकरण में प्रस्तुत किये गये वचनबद्धता प्रमाण—पत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सी0ओ0ओ0, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट के स्तर से इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाय विषयगत प्रकरण में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार/उच्च स्तर से एन0पी0वी0की धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि, दण्डात्मक धनराशि , प्रीमियम की धनराशि एवं लीज रेंट आदि की जो भी धनराशि निर्धारित की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करता हूॅ ।

<u>संलग्नकः—उपरोक्तानुसार पाॅच प्रतियों में प्रस्ताव</u> ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट—सोनभद्र

o/c